उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-19/2022/239/30-3-2022-12जीई/2011
लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी 2022

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 (अद्यतन यथासंशोधित) की व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 19-01-2022 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुए विचारण के उपरांत स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति, परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 234ई/2022-30ई/2010-वाल्यू-IIT दिनांक 20-01-2022 द्वारा संसूचित की गयी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि श्री रविकान्त शुक्ला को द्वितीय स्तरोन्नयन का लाभ दिनांक 01-06-2017 को देय था परन्तु उक्त लाभ हेतु विचारणीय अवधि से सम्बन्धित प्रविष्टियों में आयुक्त एवं उद्योग निदेशक द्वारा दिनांक 29-04-2013 को प्रदान की गई "भर्त्सना प्रविष्टि" के कारण उक्त प्रविष्टि की देयता से 05 वर्ष की अवधि तक प्रविष्टि के प्रभाव में बने रहने व उसके बाद की अवधि में उक्त प्रिवष्टि के इग्नोर करने के आधार पर समिति द्वारा देयता की तिथि 01-05-2018 संस्तुत की गयी है।

2- अत: उक्त संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री रविकान्त शुक्ला, संभागीय परिवहन अधिकारी को दिनांक 01-05-2018 से द्वितीय ए0सी0पी0 (ग्रेड वेतन रू० 7600/-) का लाभ अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2022/239/30-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) संबंधित अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ।
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in